

सेठ प्रेमचंद सतरामदास

बनाम

बिहार राज्य

[माननीय न्यायमूर्ति सैय्यद फज़ल अली, माननीय न्यायमूर्ति मुखर्जी एवं माननीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर अय्यर]

बिहार विक्रय कर अधिनियम (1944 का VI), धारा (21) (3) — उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने से इंकार करने का आदेश — संघीय न्यायालय में अपील — संधारणीयता — पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट, खंड 31 — "अंतिम आदेश" — उच्च न्यायालय की परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में पारित आदेश।

बिहार विक्रय कर अधिनियम, 1944 की धारा (21) (3) के अधीन पटना उच्च न्यायालय द्वारा दायर उस आवेदन को निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध संघीय न्यायालय में कोई अपील ग्राह्य नहीं है, जिसमें बिहार के राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने तथा उसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। ऐसा आदेश पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 31 के अर्थ में "अंतिम आदेश" नहीं है, क्योंकि धारा (21) (3) के अधीन उच्च न्यायालय का आदेश परामर्शदात्री प्रकृति का होता है और अपने आप में वह पक्षकारों के अधिकारों को बाध्य या प्रभावित नहीं करता, यद्यपि राजस्व मंडल द्वारा पारित अंतिम आदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत पर आधारित हो सकता है। न ही ऐसा आदेश उक्त खंड के अर्थ में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपीलीय अथवा मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित आदेश है।

श्री महंत हरिहर गिर बनाम आयकर आयुक्त, बिहार एवं उड़ीसा (ए.आई.आर. 1941 पटना 225) तथा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम मुख्य राजस्व प्राधिकारी, बंबई (50 आई.ए. 212) - अवलंबित।

फिरोज शाह काका खेल बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब (ए.आई.आर. 1931 लाहौर 138) - अस्वीकृत।

अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1950 की दीवानी अपील सं. 61

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 9 सितंबर, 1948 के आदेश (माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अग्रवाल एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मेरिडिथ) द्वारा एम.जे.सी. सं. 5/1948 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील। यह अपील मूलतः संघीय न्यायालय अपील सं. 71, 1948 के रूप में उस प्रमाणपत्र के आधार पर दायर की गई थी, जो उक्त उच्च न्यायालय द्वारा अपने लेटर्स पेटेंट के खंड 31 के अधीन यह घोषित करते हुए प्रदान किया गया था कि यह वाद संघीय न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है।

अपीलकर्ता की ओर से एच. पी. सिन्हा (एस. सी. सिन्हा, उनके साथ)।

उत्तरदाता की ओर से एस. के. मित्रा (एस. एल. चिबबर, उनके साथ)।

1950. नवंबर 30. न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री फज़ल अली द्वारा प्रदत्त किया गया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री फज़ल अली — यह अपील पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 9 सितंबर, 1948 के उस आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विक्रय कर अधिनियम, 1944 (1944 का अधिनियम VI) की धारा (21) (3) के अधीन किए गए एक निर्धारण के संदर्भ में राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने से इंकार किया गया।

बिहार विक्रय कर अधिनियम वर्ष 1944 में अधिनियमित किया गया था, और अधिनियम की धारा (4) यह उपबंध करती है कि "प्रत्येक विक्रेता, जिसका अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कुल व्यापारावर्त 5,000/- रुपये से अधिक था, अधिसूचित तिथि के पश्चात संपादित विक्रयों पर इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।" यह विवादित नहीं है कि अधिनियम के अधीन विक्रेता, वस्तु एवं विक्रय की

परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलकर्ता, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा ईस्ट इंडियन रेलवे के लिए पर्याप्त व्यापक स्तर पर संविदा कार्य करता रहा है, धारा (4) में उल्लिखित विक्रेता की श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा (7) यह उपबंध करती है कि "कोई भी विक्रेता, जब वह धारा (4) के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत कर अदा करने के लिए उत्तरदायी हो, तब तक विक्रेता के रूप में व्यापार नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन निबंधित न हो और उसके पास निबंधन प्रमाणपत्र न हो" "उक्त उपबंध के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने दिनांक 19 दिसंबर, 1944 को निबंधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और उसे दिनांक 21 दिसंबर, 1944 को निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 8 अक्टूबर, 1945 को विक्रय कर अधिकारी ने अपीलकर्ता को एक सूचना निर्गत की, जिसमें उसे दिनांक 10 नवंबर, 1945 को अपने लेखे प्रस्तुत करने तथा यह कारण दर्शाने के लिए कहा गया कि उस पर अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले कर के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा (10) (5) के अधीन कर की राशि के डेढ़ गुना तक का दंड उस पर क्यों न अधिरोपित किया जाए। धारा (10) (5), जिसके अधीन उक्त सूचना निर्गत की गई थी, इस प्रकार है :-

"यदि ऐसी सूचना, जो उसके संज्ञान में आई है, के आधार पर आयुक्त यह संतुष्ट हो जाता है कि कोई विक्रेता इस अधिनियम के अधीन किसी अवधि के संबंध में कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था और तथापि उसने जानबूझकर निबंधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विफलता की है, तो आयुक्त, विक्रेता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, उस अवधि तथा तत्पश्चात की सभी अवधियों के संबंध में विक्रेता से देय कर की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और आयुक्त यह निर्देश दे सकता है कि विक्रेता उक्त निर्धारित राशि के अतिरिक्त, दंड के रूप में, उस राशि के डेढ़ गुना तक की राशि अदा करेगा।"

अपीलकर्ता उक्त सूचना के प्रत्युत्तर में विक्रय कर अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, परंतु उसने 16 मार्च, 1946 तक कई स्थगन प्राप्त किए और अंततः उपस्थित होने में विफल रहा। तत्पश्चात्, विक्रय कर अधिकारी द्वारा अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उसका निर्धारण किया गया और उसे 4,526-13-0 रुपये कर के रूप में तथा अधिनियम की धारा (10) (5) के अधीन निर्धारित राशि के डेढ़ गुना के बराबर दंड अदा करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्ता ने निर्धारण तथा उस पर अधिरोपित दंड के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, किन्तु उसकी अपील दिनांक 6 जून, 1946 को निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात् उसने आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, परंतु वह दिनांक 28 मई, 1947 को निरस्त कर दी गई। तत्पश्चात् उसने राजस्व मंडल से निवेदन किया कि दिनांक 28 मई के उसके आदेश से उत्पन्न विधि संबंधी कुछ प्रश्नों को उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाए, किन्तु मंडल के सदस्य श्री एन. बक्सी ने दिनांक 4 दिसंबर, 1947 के अपने आदेश द्वारा याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अस्वीकार कर दिया:--

"मेरे पूर्ववर्ती के आदेश के पुनरीक्षण हेतु कोई आधार स्थापित नहीं हुआ। कोई संदर्भ आवश्यक नहीं।"

अधिनियम की धारा (21) यह उपबंध करती है कि यदि राजस्व मंडल उच्च न्यायालय को संदर्भ करने से इंकार करता है, तो आवेदक ऐसे इंकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और उच्च न्यायालय, यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसा इंकार न्यायसंगत था, तो राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने तथा उसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करने हेतु निर्देश दे सकता है। इस धारा में यह भी उपबंध है कि "ऐसे किसी वाद की सुनवाई पर उच्च न्यायालय उसमें उठाए गए विधि के प्रश्न का निर्णय करेगा और उस पर अपना निर्णय उन आधारों सहित देगा जिन पर वह निर्णय आधारित है, तथा उस निर्णय की एक प्रति न्यायालय की मुहर सहित राजस्व मंडल को

प्रेषित करेगा और मंडल उसके अनुसार वाद का निस्तारण करेगा।" इस धारा के अनुसार, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने तथा उसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करने हेतु निर्देशित किया जाए। इस आवेदन पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह इंगित किया कि मंडल के सदस्य से उसके पूर्ववर्ती के आदेश के पुनरीक्षण का अनुरोध नहीं किया गया था, बल्कि केवल वाद कथन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, और निम्नलिखित निर्देश दिए:--

"अतः वाद को राजस्व मंडल को इस उद्देश्य से वापस भेजा जाना चाहिए कि वह वाद कथन प्रस्तुत करे अथवा आवेदन को अस्वीकार करने के लिए एक समुचित आदेश पारित करे।"

"इसके पश्चात राजस्व मंडल ने पुनः मामले की सुनवाई की और अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त करते हुए वाद कथन प्रस्तुत करने तथा उसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात अपीलकर्ता ने राजस्व मंडल को वाद कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, परंतु यह आवेदन संक्षेप में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उसने संघीय न्यायालय में अपील करने की अनुमति हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन किया, जिसे उच्च न्यायालय ने लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय *फिरोज शाह काका खेल बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब एवं उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, लाहौर* के अनुसरण में स्वीकृत कर लिया। अनुमति प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह इंगित किया कि लाहौर के वाद में प्रिवी काउंसिल के समक्ष दायर अपील में अपील की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति उठाई गई थी, किन्तु प्रिवी काउंसिल ने गुण-दोष के आधार पर अपील को निरस्त करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं:-

"यह आपत्ति गंभीर है। यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान जैसी अपील आयकर अधिनियम द्वारा स्वयं अधिकृत नहीं है। यदि यह किसी प्रकार ग्राह्य है, तो इसे लाहौर उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 29 के अधीन, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित अंतिम निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध अपील के रूप में ही उचित ठहराया जा सकता है। और वर्तमान अपील को पूर्ण पीठ द्वारा इसी प्रकार ग्राह्य माना गया था। बोर्ड के समक्ष इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से बहस नहीं हुई थी, और तदनुसार उनके लॉर्डशिप इस पर कोई भी राय व्यक्त करने से विरत रहते हैं" (२)।

अपीलकर्ता को अनुमति प्रदान करते समय उच्च न्यायालय मुख्यतः इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होता है कि लाहौर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रिवी काउंसिल द्वारा गलत नहीं ठहराया गया था।

इस न्यायालय में अपील की सुनवाई के प्रारंभ में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि यह अपील ग्राह्य नहीं है, और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात हमारा मत है कि यह आपत्ति सुस्थापित है।

श्री महंत हरिहर गिर बनाम आयकर आयुक्त, बिहार एवं उड़ीसा (ए.आई.आर. 1941 पटना 225) में पटना उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा यह अवधारित किया गया था कि पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 31 के अधीन, आयकर अधिनियम की धारा (66) (3) के अंतर्गत दायर उस आवेदन को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध महामहिम की परिषद में कोई अपील ग्राह्य नहीं है, जिसमें आयकर आयुक्त को वाद कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया था (जो हमारे समक्ष अधिनियम की धारा (21) के समान उपबंध है)। उस वाद में इस विषय से संबंधित समस्त विधि का स्पष्ट एवं व्यापक रूप से विचार किया गया है, और यह इंगित किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत वाद में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण अनेक अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा समर्थित नहीं था तथा प्रिवी काउंसिल ने भी, जब यह

विषय उसके समक्ष आया, उसकी शुद्धता के संबंध में कोई मत व्यक्त करने से विरत रही। हमारे मत में, पटना वाद में व्यक्त दृष्टिकोण ही सही है।

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेपेंट का खंड 31, जिसके आधार पर अपीलकर्ता उत्तरदाता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का प्रतिरोध करता है, इस प्रकार है:-

"और हम आगे यह भी अधिरोपित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति गण, किसी भी ऐसे विषय में जो आपराधिक क्षेत्राधिकार का न हो, पटना उच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध, जो अपील में पारित किया गया हो, अथवा उक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा या किसी खंड न्यायालय द्वारा उसकी मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किसी अंतिम निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध, जिससे इन प्रपत्रों के खंड 10 में निहित उपबंधों के अधीन उक्त उच्च न्यायालय में अपील न होती हो, हमारे अथवा हमारे उत्तराधिकारियों के समक्ष, उनके प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकेगा, बशर्ते कि दोनों ही स्थितियों में विवादित राशि या विषय का मूल्य कम से कम दस हजार रुपये हो, अथवा ऐसा निर्णय, डिक्री अथवा आदेश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी किसी मांग, दावा या प्रश्न से संबंधित हो जो ऐसी संपत्ति के संबंध में हो जिसका मूल्य कम से कम दस हजार रुपये हो; अथवा ऐसे किसी अन्य अंतिम निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध, जो उपर्युक्त प्रकार से अपील में या अन्यथा पारित किया गया हो, जब उक्त उच्च न्यायालय यह घोषित करे कि यह वाद हमारे समक्ष अपील के लिए उपयुक्त है "।

इस खंड के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक है, प्रथम, कि अपीलाधीन आदेश एक अंतिम आदेश है; और द्वितीय, कि वह उच्च न्यायालय की मूल अथवा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया है। द्वितीय आवश्यकता इस खंड के अंतिम भाग से स्पष्ट रूप से अनुसरण करती है। हमारे मत में, वर्तमान वाद में अपीलाधीन आदेश को अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अपने आप में पक्षकारों के अधिकारों को बाध्य या प्रभावित नहीं करता। बिहार विक्रय कर अधिनियम की

धारा (21) के अधीन उच्च न्यायालय का कर्तव्य केवल यह है कि वह उठाए गए विधि के प्रश्न का निर्णय करे और अपने निर्णय की प्रति राजस्व मंडल को प्रेषित करे। तत्पश्चात् राजस्व मंडल को उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वाद का निस्तारण करना होता है। यह सत्य है कि मंडल का आदेश उस बात पर आधारित होता है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विधि की सही स्थिति के रूप में व्यक्त किया गया है, किन्तु तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय का आदेश अपने आप में पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, और इस विषय में अंतिम आदेश वही है जो अंततः राजस्व मंडल द्वारा पारित किया जाता है। इस प्रश्न का पूर्ण रूप से विचार *टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम मुख्य राजस्व प्राधिकारी, बंबई (50 आई.ए. 212)* में किया गया है, जहाँ लॉर्ड एटकिंसन ने यह इंगित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल परामर्शदात्री था और उन्होंने इन रे *नाइट एंड द टैबरनेकल परमानेंट बिल्डिंग सोसाइटी (१)* में लॉर्ड एशर की निम्नलिखित टिप्पणियों का उद्धरण किया:--

"एक्स पार्ट काउंटी काउंसिल ऑफ केंट के वाद में, जहाँ एक विधि में यह उपबंध था कि न्यायालय के निर्णय हेतु वाद कथन प्रस्तुत किया जा सकता है, यह धारित किया गया कि यद्यपि भाषा प्रथम दृष्टया यह इंगित करती है कि किसी निर्णय या आदेश के समक्ष कुछ होना चाहिए, तथापि जब प्रसंग का अवलोकन किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि जिस न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी उसकी क्षेत्राधिकार केवल परामर्शदात्री थी, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो किसी निर्णय या आदेश के रूप में माना जा सके।"

यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस वाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसकी मूल अथवा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया था। यह तर्क नहीं दिया गया कि यह मामला उच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके समक्ष कोई अपील लंबित नहीं थी। न ही, यथार्थ रूप से, यह कहा जा

सकता है कि यह मामला उच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उत्पन्न हुआ, जैसा कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उस वाद में माना था जिसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रारंभ नहीं हुई थी, जबकि सभी मूल वाद एवं कार्यवाहियाँ वहीं प्रारंभ होनी चाहिए। अपितु, उच्च न्यायालय को इस वाद का विचार करने की क्षेत्राधिकार बिहार विक्रय कर अधिनियम के एक स्पष्ट उपबंध के द्वारा प्राप्त हुई थी। अतः इस विषय का सार यह है कि उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार केवल परामर्शदात्री थी और वह न तो मूल थी और न ही अपीलीय।

इस दृष्टिकोण में, अपील को निरस्त किया जाना चाहिए, यद्यपि पक्षकारों को सुनने पर हमें यह प्रतीत हुआ कि विक्रय कर प्राधिकारीगण, जिनमें आयुक्त एवं राजस्व मंडल सम्मिलित हैं, ने अधिनियम की धारा (10) (5) के अधीन अपीलकर्ता पर दंड अधिरोपित करने में त्रुटि की, जिसका उसके वाद पर कोई अनुप्रयोग नहीं था, क्योंकि वह अधिनियम की धारा (7) के अनुसार निबंधित था।

इन परिस्थितियों में, अपील को निरस्त करते हुए, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील निरस्त।

अपीलकर्ता के लिए अभिकर्ता : *आर. सी. प्रसाद।*

उत्तरदाता के लिए अभिकर्ता : *पी. के. चटर्जी।*

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।